(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Daranghati

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

## NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)22/99 dated 23.10.99 to declare **Daranghati** as **Wildlife Sanctuary** comprising an area of 167.00 sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others:

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed:

And whereas, Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28<sup>th</sup> July 2010 to include an area of 127.87 sq. km to the existing on ground area of 48.25 sq. km of Daranghati Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Daranghati Wildlife Sanctuary, an additional area of 127.87 sq. km is included and 4.62 sq. km area is excluded from the existing area on ground 48.25 sq. km (as against notified area of 167.00 sq. km) of Daranghati Wildlife Sanctuary. The total area of 171.50 sq. km (48.25 sq. km + 127 sq. km - 4.62 sq. km) shall now constitute the Daranghati Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare this total area of 171.50 sq. km as 'Daranghati Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limit of Daranghati Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No	Name of WL Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Daranghati Wildlife Sanctuary
1.	Daranghati Wildlife Sanctuary	i) Shimla ii) Sarahan (WL) Division	NORTH: The boundary starts from Kandidhar along outer boundary of cultivation of Sarahan and crossing the rai gad tributary then follows the the last left side tributary and moves upstream upto Wasal dhar bench mark 3070 mtr. then joins the right side tributary of Dharali khud at meeting point of two tributary, then along another tributary upto bench mark 3880 mtr. and then follows the district boundary of Shimla and Kinnaur via Termi point 3979, Kakraub 4211, Welnu point 4396 mtr. on Gangdharidhar point 5148 upto

Hansbeshan point 5240 mtr.

EAST: From Hansbeshan point 5240 mtr. further follows the district boundary of Shimla (Mahasu) & Kinnaur via bench mark 5236 mtr. upto Krushikring 5088 mtr. then Trecha dhar via Saru lake upto Kathrech Ghati point 4150 mtr.

SOUTH: From Kathrech Ghati point 4150 mtr. upto Jalsu Ghati Point 4149 mtr. boundary follows the Paldhar via point 4308 mtr., 4331 mtr., Jhalsughati, 4190 mtr, Lodar, Thach Point 4314 mtr. 4035 mtr., Mural Kanda, Jaraida 3781 mtr. upto Moral Kanda Point 3732 mtr.

WEST: From Mural Kanda Point 3732 mtr The boundary moves on the ridge via point 3485 mtr, 3071 mtr, upto dopada 2808 mtr. and turns right side, follows the down side in small tributary of Sartu gad and then upstream in Sartu gad via point 2195 mtr. turns left side separating the Palli Dogri, Marala and Darkali cultivation then via Riyar and cross the small tributary of nalla near darlali and passind on ridge at Sharnu Pass point 2860 mtr. then follows the ridge via point 2971mtr. boundary of Dibari Dansa P.F. and joins the Nogli gad at Kotla PF boundary, then follows the Nogli gad upstream upto point 2155 mtr. or meeting point of Katri gad and then follows the Katri gad upstream and turns to left side from the point where Katri Gad turns to right side and forms V shape to Jangdhar and further moves on Jangdhar and boundary of Pat PF and Riyara PF, then follows the boundary of Pat PF and Munish east PF upto point 3106 mtr., then follows the path in Wirni Dhar to Munish and cross the Thar gad through V shape of a nalla tributary, then follows boundary of Munish cultivation land and Munish

west PF boundary via point 2988 mtr., on ridge point 3064 mtr. upto top of Daranghati Dogri point 2960 mtr. near PWD Rest House, then along the tributary of Sari Khad down stream upto meeting point of Sari Khad and Rama Khud, then moves upstream Rama Khud and cross the nalla left side near Rama Dogri and cross the Kotmi dhar near point 2887 mtr. then follows the forest boundary and joins Wajadi gad near Chhuariwai, then follows the upstream the nalla, then from middle of the nalla boundary turns to left side and cross the Jawai Dhar and follows the down stream of Kholti gad then cross the nalla and separating the cultivation land of Runpu and Wangisaran Dogri and joins the Kota Gad, then upstream of nalla upto Baghat PF and cross the nalla near Path and follows the outer boundary of cultivation of Jagdhara, Bahli, Dhawan and Joins in Gartada khud, then follows the same upstream upto top point 3655 mtr. then follows the Kanatri Dhar upto point 3022 mtr, then separates the cultivation of villages Pithawi and Dhada then joins Thada Khud, then upstream the same khud and turns towards Wasal Kanda and follows the Dhar and separating the cultivation of Panzgaon and Rogori upto Kandi Dhar and Gaddhar.

This area is situated within the Geo co-ordinates **North** (31°30′52″N &77°48′25″E), **East** (31°24′22″N &77°57′48″E), **South**(31°19′45″N &77°47′21″E) and **West** (31°25′23″N &77°45′5″E) Survey sheet No.53E/14 & 53/E15 Scale 1:50,000.

Area of Daranghati Wildlife Sanctuary= 171.50 sq. km

By Order

Principal Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

## Endst. No As above

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

Copy forwarded to:-

- 1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
- 2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
- 3. All the Heads of Departments of H.P.
- 4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
- 5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
- 6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
- 7. All the Deputy Commissioners in H.P.
- 8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
- 9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
- 10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
- 11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.

12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh.

## हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—11 / 2005—II दारनघाटी तारीख शिमला—2 7 जून, 2013 अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.—बी—एफ.(6)—22/99 तारीख 23—10—1999 द्वारा 167.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र दारनघाटी को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए सं0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल सं0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ—I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई—बी—एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान भू—क्षेत्र 48.56 वर्ग किलामीटर में 127.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5—8—2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1—2—2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 176.12 वर्ग किलोमीटर (यथा 167 वर्ग किलोमीटर के अधिसूचित क्षेत्र के स्थान पर) के क्षेत्र को सिम्मिलित किया गया है और उसमें से 4.62 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् 171.50 वर्ग किलोमीटर (48.25 वर्ग किलोमीटर + 127 वर्ग किलोमीटर -4.62 वर्ग किलोमीटर) के कुल क्षेत्र से अब दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 171.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम	वन्य जीव	घटक	दारनघाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
संख्या	अभ्यारण्य	i) जिला	
	का नाम	ii) वन मण्डल	·
1	दारनघाटी	i) शिमला	उत्तरः सीमा कांडी धार से आगे सराहन नीजि
		ii) सराहन	भूमि के साथ साथ राई गाड़ के एक सहायक नाले
		(वन्य जीव	से होती हुई ऊपर की ओर बशाल धार की चोटी
		मण्डल)	3070 मीटर फिर धराली खंड के दाई ओर के नाले
			में मिलती हुई फिर दूसरे नाले के साथ साथ उस
			की चोटी 3880 मीटर फिर शिमला और किन्नौर
			जिला की सीमा के साथ साथ आगे टेरमी बिन्दु
			3979 मीटर ऊंचाई, काकरब 4211, वेलनू,
			गंगधारीधार पर बिन्दु 4396, बिन्दु 5148 से हंसवेशन
			बिन्दु 5240 तक ।
			-
			पूर्वः हंसवेशन बिन्दु 5240 मीटर से किन्नौर व

शिमला जिला की सीमा के साथ साथ बिनदु 5236 मीटर से होती हुई कशिकरिंग बिन्दु 5088 मीटर तरेचा धार पर सरु झील से होती हुई कथरचे घाटी बिन्दु 4150 मीटर ऊंचाई तक ।

दक्षिण : कथरचे घाटी बिन्दु 4150 मीटर ऊंचाई बिन्दु से ऊंचाई जालसू घाटी 4149 मीटर, पालधार बिन्दु 4308 मीटर, 4331 मीटर, झालसू घाटी 4190 मीटर, लोडर थाच 4314 मीटर, 4035 मीटर, मोराल दांडा, जरेयादा 3781 मीटर से मोराल कांडा बिन्दु 3732 मीटर तक ।

पश्चिमः मोराल कांडा बिन्दु 3732 मीटर से सीमा धार पर बिन्दु 3485 मीटर, 3071 मीटर से दोपाढ़ा 2808 मीटर तक फिर दाई तरफ मुड़ते हुए सारटू गांड के छोटे सहायक नाले में नीचे की ओर बिन्दू 2195 मीटर फिर बांयें मुड़ते हुए पाली दोगरी, मराला और दरकाली खेती योग्य भूमि को अलग करते हुए रेयार होती हुई दरकाली के नजदीक छोटे सहायक नाले को पार करते हुए धार पर शारनू दर्रा बिन्दु 2860 मीटर, धार के साथ-साथ ऊंचाई 2971 मीटर जोकि डिबारी डांसा संरक्षित वन की सीमा के साथ साथ नोगली गाढ पर कोटला संरक्षित वन की सीमा में मिलती है फिर नोगली गाढ के साथ-साथ ऊपर की ओर बिन्दू 2155 मीटर जोकि मिलान बिन्दू कातरी गाढ पर है फिर कातरी गाढ पर ऊपर की ओर जाते हए बांई तरफ मुड़ती है जहां कातरी गाढ दाई तरफ मुड़ती है और जंगधार पर V आकार से धार पर आगे जाते हुए पाट व रेयारा संरक्षित वन की सीमा के साथ साथ मुनिष पूर्व संरक्षित वन से होती हुई बिन्दु 3106 मीटर, फिर रास्ते के साथ साथ विरनी धार से मुनिष और थारगाढ को पार करते हुए सहायक नाले पर V आकार से आगे मृनिष निजि भूमि और मुनिष पश्चिम संरक्षित वन की सीमा से होती हुई धार पर बिन्दु 2988 मीटर, 3064 मीटर से दारनघाटी दोगरी में 2960 मीटर नजदीक पी0डब्ल्यू0 डी0 विश्राम गृह, सरी खंड के सहायक नाले के साथ नीचे की ओर सरी और रामा खंड के मिलान बिन्द तक फिर रामा खंड के साथ साथ ऊपर की ओर

रामा दोगरी के नजदीक बांई तरफ नाला पार कर के कोटमी धार पर बिन्दू 2887 मीटर से होती हुई वन सीमा के साथ साथ छुआरीबाई के नजदीक वजड़ीगाढ में मिलते हुए फिर इसी गाढ के साथ ऊपर की तरफ फिर नाले के बीच से बांई तरफ मुड़ते हुए जवाई धार को पार कर के खोल्टी गाढ में नीचे की तरफ नाले को पार करके रुनपू और बांगीशरण दोगरी की निजि भूमि को विभाजित करके सीमा के साथ-साथ कोटा गाढ में मिलती है फिर नाले के साथ ऊपर की ओर भगाट संरक्षित वन के साथ जाते हए नाले को पार करके जगधारा, बहाली, धवान निजि भिम की सीमा के साथ-साथ गरटाढा खड में जाकर मिलती है फिर इसी खड के साथ ऊपर की ओर चोटी पर बिन्दु 3655 मीटर तक फिर कनातरी धार के साथ-साथ बिन्दु 3022 मीटर, पिथवी व थाडा गांव की निजि भूमि को अलग करती हुई थाडा खड में मिलने के बाद इसी नाले में ऊपर की तरफ बासल कांडा की तरफ मुड़ते हुए पंजगांव और रगोरी की निजि भूमि को अलग करते हए कांडीधार व गाढधार तक ।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः उत्तर अक्षांश  $31^{\circ}$  30' 52'' उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ}$  48' 25'' पूर्व । पूर्व अक्षांश  $31^{\circ}$  24' 22'' उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ}$  57' 48'' पूर्व । दक्षिण अक्षांश  $31^{\circ}$  19' 45'' उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ}$  47' 21'' पूर्व और पश्चिम अक्षांश  $31^{\circ}$  25' 23'' उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ}$  45' 05'' पूर्व यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर  $53\frac{1}{2}$ / 14 व  $53\frac{1}{2}$ / 15, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफलः 171.50 वर्ग कि0मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार । पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
- 2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
- 3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
- प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
- समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
- 7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
- 8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
- 9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
- 11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें । 12. गार्ड फाइल ।

अवर सिंघव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार ।